रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12112026-277833
SG-DL-E-12112026-277833

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2026/कार्तिक 12, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 274
No. 329] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2026/KARTIKA 12, 1948 [N. C. T. D. No. 274

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

फा. सं. जेसी/ईवी/टीपीटी/2026/02/46825.—जबकि, सेवाओं, लाभों या सब्सिडी के वितरण हेतु पहचान संबंधी दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता लाता है तथा लाभार्थियों को स्वयं की पहचान प्रमाणित करने के लिए विविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु आधार की आवश्यकता को समाप्त करते हुए सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को अन्य बातों के साथ-साथ खरीद प्रोत्साहन तथा स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के उपबंधों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है।

जबकि, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 के अंतर्गत खरीद प्रोत्साहन तथा स्क्रैपिंग प्रोत्साहन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से संवितरित किया जाता है और ऐसे लाभार्थियों की पहचान स्थापित करने, डुप्लिकेट या धोखाधड़ी वाले दावों को रोकने, पात्रता के सटीक सत्यापन को सुनिश्चित करने तथा यथोचित लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के सीधे क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अपेक्षित है।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम") की धारा 7 तथा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं:

1. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 के अंतर्गत खरीद प्रोत्साहन या स्क्रैपिंग प्रोत्साहन का आवेदन करने वाले प्रत्येक वैयक्तिक आवेदक को अपना आधार संख्या देना अनिवार्य होगा तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट ईवी प्रोत्साहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

2. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 में विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन समय-समय पर यथा संशोधित उक्त नीति तथा उसके अंतर्गत जारी परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड, शर्तें, सीमाएं, समयसीमा और अन्य आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

3. इस अधिसूचना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 के अंतर्गत खरीद प्रोत्साहन तथा स्क्रैपिंग प्रोत्साहन आवेदनों को जमा करने और संसाधित करने के लिए परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रमाणीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।।

4. आधार संख्या, प्रमाणीकरण संबंधी जानकारी और उससे संबंधित कोई भी जानकारी, चाहे वह कहीं भी एकत्र की गई हो, उपयोग की गई हो, संग्रहीत की गई हो, अन्यथा संसाधित की गई हो, को आधार अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमनों तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही सख्ती से निपटाया जाएगा।

5. इस नीति के अंतर्गत लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी वैयक्तिक को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक नामांकन नहीं कराया है, को इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, बशर्ते कि वह अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो और उसे इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाना होगा।

6. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार, विभाग को अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधा प्रदान करना अपेक्षित है जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है। यदि स्थानीय क्षेत्र में कोई नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग यूआईडीएआई रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा।

बशर्ते कि, जब तक कि वैयक्तिक को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक योजना के अन्तर्गत लाभों को ऐसे वैयक्तिक को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, अर्थातः -

क. आधार नामांकन पहचान पत्र पर्ची, और

ख. निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

i. फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक; या

ii. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

iii. पासपोर्ट; या

iv. मतदाता पहचान पत्र

आगे यह भी उपबंधित है कि इस प्रयोजनार्थ उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

7. नीति के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

8. जिन मामलों में आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां नीति के अंतर्गत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है तथा विभाग द्वारा अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीति के अंतर्गत किसी भी वास्तविक लाभार्थी को प्रोत्साहन से वंचित न किया जाए, परिवहन विभाग, दिनांक 19 दिसंबर 2017 के डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विश्वेंद्र, विशेष आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd November, 2026

F. No. JC/EV/TPT/2026/02/46825.— **Whereas,** the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services, benefits or subsidies simplifies Government delivery processes, brings transparency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

Whereas, Government of National Capital Territory of Delhi is implementing the Delhi Electric Vehicles Policy, 2026 with the objective of accelerating the adoption of electric vehicles in the NCT of Delhi through, inter alia, the provision of purchase incentives and scrapping incentives to eligible beneficiaries;

Whereas, the purchase incentives and scrapping incentives under the Delhi Electric Vehicles Policy, 2026 are disbursed through Direct Benefit Transfer (DBT) to eligible beneficiaries from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi and Aadhaar authentication is required for establishing the identity of such beneficiaries, preventing duplicate or fraudulent claims, ensuring accurate verification of eligibility and facilitating direct credit of incentives to the rightful beneficiaries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ("Aadhaar Act") along with Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies the following:

1. Every individual applicant seeking purchase incentive or scrapping incentive under the Delhi Electric Vehicles Policy, 2026 shall mandatorily furnish his or her Aadhaar number and undergo Aadhaar authentication as part of the online application process on the EV Incentive Portal designated by Transport Department, GNCTD.

2. The incentives specified in the Delhi Electric Vehicles Policy, 2026 shall be subject to the eligibility criteria, conditions, ceilings, timelines and other requirements prescribed under the said policy and the Operational Guidelines issued thereunder, as amended from time to time.

3. Aadhaar authentication under this notification shall be carried out electronically through One Time Password (OTP) authentication on the online Portal designated by the Transport Department, GNCTD for submission and processing of purchase incentive and scrapping incentive applications under the Delhi Electric Vehicles Policy, 2026.

4. The Aadhaar number, authentication information and any information associated therewith wherever collected, used, stored otherwise processed, shall be dealt strictly in accordance with the provisions of the Aadhaar Act, the regulations made thereunder and other applicable laws, rules, regulations and directions.

5. Any individual desirous of availing benefits under the policy who does not possess Aadhaar or has not enrolled yet, shall be required to apply for Aadhaar enrolment before registering on the EV Subsidy Portal, provided he/ she is entitled to obtain Aadhaar under Section 3 of the Act and shall visit any Aadhaar enrolment centre (List available at UIDAI website: www.uidai.gov.in)

6. As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its District Offices is required to offer Aadhaar enrolment facilities for beneficiaries who are not yet enrolled. If there is no enrolment centre in the locality, the Department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with UIDAI Registrars or by becoming a Registrar themselves.

   Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:

   a) Aadhaar Enrolment ID Slip, and

   b) Any one of the following documents, namely:

      i. Bank or Post Office Passbook with Photo; or

      ii. Permanent Account Number (PAN) Card; or

      iii. Passport; or

      iv. Voter Identity Card

   Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the department for that purpose.

7. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Policy conveniently, the Department through its district offices shall make all the required arrangements to ensure that vide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

8. In cases, where Aadhaar One Time Password or Time-based One Time Password authentication is not possible, benefits under the Policy may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement for Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its District Offices.

9. In addition to the above, in order to ensure that no Bonafide beneficiary under the policy is deprived of incentives, the Transport Department shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT mission, Cabinet Secretariat, Govt. of India dated 19th December 2017.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

VISHWENDRA, Special Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.12 13:56:46 +05'30'